



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07052025-262953
CG-DL-E-07052025-262953

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खंड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 349]
No. 349]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 6, 2025/वैशाख 16, 1947
NEW DELHI, TUESDAY, MAY 6, 2025/VAISAKHA 16, 1947

कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 2025

फा. सं. N-12011/1/2023- P&D.—जबकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को भारत के राजपत्र, (असाधारण), भाग III - खंड 4 (क्रम संख्या 632) दिनांक 12.09.2023 में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम द्वारा 01.07.2022 से 30.06.2024 की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया था। जबकि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना 01.07.2024 से 30.06.2026 की अवधि के लिए शिथिल पात्रता शर्तों तथा वर्धित राहत दर के साथ जोकि भारत का राजपत्र (असाधारण) भाग III - खंड 4 (क्रम सं. 436), दिनांक 16.10.2020, क्रम सं. 15, दिनांक 11.01.2021 तथा क्रम सं. 58, दिनांक 27.01.2022 में अधिसूचित की गई, को आगे विस्तार करने हेतु मसौदा अधिसूचना भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खंड 4 (क्रम सं. 142), दिनांक 27.02.2025 को प्रकाशित की गई।

जबकि उक्त राजपत्र अधिसूचना दिनांक 27.02.2025 को जनता को उपलब्ध कराई गई थी; और इससे प्रभावित हो सकने वाले व्यक्तियों से कोई सुझाव अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ;

अतः अब, कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 (1948 का 34) की धारा 97 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कर्मचारी राज्य बीमा निगम, भारत का राजपत्र (असाधारण), भाग III - खंड 4 (क्रम सं. 436),

दिनांक 16.10.2020, क्रम सं. 15, दिनांक 11.01.2021 तथा क्रम सं. 58, दिनांक 27.01.2022 में यथा अधिसूचित वर्धित राहत दर तथा शिथिल पात्रता शर्तों के साथ अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना को 01.07.2024 से 30.06.2026 तक की अवधि के लिए विस्तार करने के अपने निर्णय को एतद्वारा अधिसूचित करता है।

दीपक जोशी, बीमा आयुक्त (यो. व. वि.)

[विज्ञापन-III/4/असा./81/2025-26]

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 2025

F. No. N-12011/1/2023- P&D.— Whereas the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana was extended for a period 01.07.2022 to 30.06.2024 vide notification published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 632) dated 12.09.2023. Whereas draft notification further to extend the Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2024 to 30.06.2026 with relaxed eligibility condition and enhanced rate of relief notified in Gazette of India (Extraordinary) Part III Section – 4 (Sl. No. 436) dated 16.10.2020, Sl. No. 15 dated 11.01.2021 and Sl. No. 58 dated 27.01.2022 was published in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No. 142) dated 27.02.2025.

Whereas the said Gazette notification was made available to the public on 27.02.2025; and no suggestion or objection was received from the persons likely to be affected;

Now, therefore in exercise of the powers conferred upon it under sub-section (1) of section 97 of the Employees' State Insurance Act 1948 (34 of 1948), the Employees' State Insurance Corporation hereby notifies its decision to extend Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojana for a period 01.07.2024 to 30.06.2026 with enhanced rate of relief and relaxed eligibility conditions as notified in the Gazette of India, (Extraordinary), Part III – Section - 4 (Sl. No 436) dated 16.10.2020, Sl. No. 15 dated 11.01.2021 and Sl. No. 58 dated 27.01.2022.

DEEPAK JOSHI, Insurance Commissioner (P&D)

[ADVT.-III/4/Ext./81/2025-26]